38

Rs. 30/-

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट, रीवा (म0प्र0)

R 5242-II/16

1— शंभू प्रसाद शुक्ला तनय जमुना प्रसाद शुक्ला

2— अजय कुमार शुक्ला

3— पुनीत कुमार शुक्ला — तीनो के पिता शम्भू प्रसाद शुक्ला

4— सुद्यांशु शुक्ला

सभी निवासी ग्राम नई खुटेही ढ़ेकहा, तह0—हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

———————आवेदक / निगराकार

बनाम्

रवीन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय बैजनाथ प्रसाद शुक्ला, साकिन नई खुटेही, ढेकहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

———————अनावेदकगण / गैरनिगराकारगण

श्री. अशोक द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 27.5.16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील हुजूर दिनांक 20/05/2016 बावत प्रकरण क्र0—13 अ—12/2015—16 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है —

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया एवं अभिलेख के विरूद्ध है ।

2— यह कि अनावेदक द्वारा जिस कथित भूमि का सीमांकन कराया गया है, उस कथित भूमि नं0—15/2 के खसरे, नक्शे में भारी अंतर है, जिसके बावत् नक्शा तरमीम का विवाद मान्नीय

शम्भू प्रसाद शु0 अजय कुमार शुक्ला

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5242–दो/2016 जिला– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
07–03–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री संतोष मिश्र ''रत्नमाला'' एवं श्री अशोक विश्वकर्मा उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता श्री हिमांशु शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क सुने। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 13/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.5.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक श्री रवीन्द्र प्रसाद शुक्ला पिता श्री बैजनाथ प्रसाद शुक्ला निवासी ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा आराजी नम्बर 15/2 रकवा 0.234 का सीमांकन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा धारा 129 का पालन करते हुये दिनांक 20.5.16 को आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आवेदक की आपत्ति सारहीन होने से निरस्त की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक भूमि कमांक 15/2 के सीमावर्ती भूमिस्वामी है व भूमि कमांक 15 के सहभूमिस्वामी भी है इस तरह सीमांकन के मामले में आवेदकगण को पक्षकार बनाकर सूचना व सुनवाई का मौका देना चाहिये था। लेकिन आवेदकगण को न तो सीमांकन मामले में पक्षकार बनाया गया और ना ही सीमांकन की कोई सूचना व सुनवाई का मौका दिया गया। अपने लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है अनावेदक की भूमि कमांक 15/2 में खसरे व नक्शे में भारी अन्तर है इस बावत राजस्व निरीक्षक का जांच	

प्रतिवेदन इस लिखित बहस के साथ पेश है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी लेख है कि अनावेदक के सीमांकन आवेदन से ही स्पष्ट हे कि खसरे में भूमि नं0 15/2 का रकवा 0.234 है0 अंकित है, परन्तु जो सीमांकन प्रतिवेदन व नजरी नक्शा बनाया गया हे उसमें नक्शे का रकवा 0.38 एकड़ बताया गया है इस तरह स्पष्ट है कि नक्शा एकदम त्रुटिपूर्ण हे परन्तु नक्शे की त्रुटि सुधारने हेतु अनावेदक ने आजतक कोई पहल नहीं किया और ना ही नक्शा की त्रुटि सुधार हेतु धारा 107 (5) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अधीन कलेक्टर के यहां मामला लगाया बल्कि प्रार्थी/आवेदक के चोरी छिपे अधिकार विहीन नक्शा तरमीम का एक प्रकरण तहसीलदार के प्रकरण कमांक 275/अ–74/2015–16 दासर कर नक्शे में उपखण्ड कराकर एकदम गलत आदेश दिनांक 13.12.15 पारित करा लिया जिसे आवेदक की ओर से राजस्व मण्डल में निगरानी 779–दो/2016 आदेश दिनांक 6.2.17 को निगरानी खारिज हुई। नक्शा सुधार का प्रकरण अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में अभी संचालित है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 23.12.15 एवं 20.5.16 निरस्त करने तथा अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में संचालित प्रकरण का निराकरण होने तक सीमांकन न किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन है उसे निरस्त किया जावे, क्यों कि पूर्व में राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक 979–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 6.2.17 में उसी आराजी का एवं उसी रकवे का अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कहा गया है कि सूचना व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है जबकि सूचना पत्र जारी दिनांक 10.3.16 में शंभू प्रसाद

द्वारा हस्ताक्षर किये गये है तथा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 11.3.16 अंकित भी किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि नक्शा सुधार का प्रकरण अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में संचालित है, वहां प्रकरण संचालित होने से इस न्यायालय की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती । अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 20.5.16 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 13/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.5.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है, परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य